झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, (1955 का अधिनियम 10) की धारा–3 सहपठित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या G.S.R. 213 (E) दिनांक 20.03.2015 द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका–9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के द्वारा राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित अनुज्ञप्ति जारी करने, निलम्बन/रद्द करने, अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्त्तें, कार्यकलाप एवं अनुश्रवण के संबंध में झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2019 को विलोपित करते हुए **"झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022"** निम्नवत् किया जाता है –

अध्याय–I
(प्रारंभिक)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(i) इस आदेश का नाम "झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022" है।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह आदेश झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ

(i) **'नियंत्रण आदेश'** से अभिप्रेत झारखण्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 है;

(ii) **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10);

(iii) **'केन्द्रीय आदेश'** से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015;

(iv) **'राज्य सरकार'** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार;

(v) **'विभाग'** से अभिप्रेत है खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार;

(vi) **'खाद्य आयुक्त'** से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड सरकार;

(vii) **'निदेशालय'** से अभिप्रेत है खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड;

(viii) **'निदेशक'** से अभिप्रेत है खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड के निदेशक;

(ix) **'अपील प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है उपायुक्त अथवा इस आदेश के अधीन अपील प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी;

(x) **'प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है राज्य सरकार में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में कार्यरत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून श्रेणी का पदाधिकारी;

(xi) **'निगम'** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड;

(xii) **''सक्षम पदाधिकारी''** से अभिप्रेत है विभाग के द्वारा पदस्थापित/जिला के उपायुक्त के द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार के पदाधिकारी, जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून स्तर का पदाधिकारी हो।

(xiii) **'अनुज्ञापन पदाधिकारी'** से अभिप्रेत है विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी तथा इस आदेश के प्रावधानों के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये पदाधिकारी जो अपने प्रक्षेत्र में जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति) अथवा इन पदों पर संबंधित उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे;

(xiv) **'उचित मूल्य की दुकान'** से अभिप्रेत है ऐसी दुकान जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्डधारकों को इस आदेश के अधीन आवश्यक वस्तु वितरित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदत्त हो;

(xv) **'उचित मूल्य की दुकान मालिक'** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति अथवा समूह जिन्हें, आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदत्त हो;

(xvi) **'सार्वजनिक वितरण प्रणाली'** से अभिप्रेत है वितरण की वह प्रणाली जिसके माध्यम से राशन कार्डधारकों को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है;

(xvii) **'राशन कार्ड'** से अभिप्रेत है निम्नलिखित प्रकार के राशन कार्ड :–

(a) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवारों को जारी किया राशन कार्ड (गुलाबी कार्ड)।

(b) अंत्योदय अन्न योजना के लिए जारी किया गया राशन कार्ड (पीला कार्ड)।

(c) सफेद राशन कार्ड।

(d) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी विशेष योजना के लिए जारी किया गया राशन कार्ड।

(xviii) **'अन्त्योदय परिवार'** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत चिन्हित किये गए वैसे परिवार जिन्हें अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड जारी किया गया हो;

(xix) **'पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार'** से अभिप्रेत है अध्याय–II के खण्ड–4 में वर्णित परिवार;

(xx) **'पात्र आवेदक'** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो झारखण्ड राज्य का निवासी हो एवं जो राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए उन शर्तों को पूरा करता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय;

(xxi) **'आवंटन माह'** से अभिप्रेत है वह माह जिसके लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण हेतु खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है;

(xxii) **'राशन कार्ड सेवा केन्द्र'** से अभिप्रेत है प्रज्ञाकेन्द्र अथवा/एवं प्रखण्ड तथा नगर निकाय मुख्यालय में अवस्थित ऐसा केन्द्र जो राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत कार्रवाई हेतु संसूचित हो;

(xxiii) **'राशन कार्ड निर्गमन प्राधिकार'** से अभिप्रेत है जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति) अथवा उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी से न्यून न हो।

(xxiv) **'राज्य स्तरीय परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता'** से अभिप्रेत है लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के अधीन गोदामों से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधीन गोदामों तक आवश्यक वस्तुओं के हथालन एवं परिवहन हेतु नियुक्त अभिकर्त्ता;